सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **270**
20/03/2025

"उर्वरक आपूर्ति सुदृढ़, अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई 115 प्राथमिकी दर्ज, 449 लाइसेंस रद्द" कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस"

- **राज्य के किसी जिले मे उर्वरक की कोई कमी नहीं**
- **अंतराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी**

– – राम कृपाल यादव

पटना 20 मार्च, 2026 :– माननीय कृषि मंत्री, बिहार, श्री राम कृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक मूल्य पर बिक्री को रोकने के लिए पूरी तरह सख्त एवं सतर्क है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025–26 (20 मार्च 2026 तक) में अनियमितताओं के विरुद्ध 115 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 449 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उर्वरक की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किया गया है, जो प्राप्त शिकायतों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में पर्याप्त उर्वरक स्टॉक उपलब्ध है:–

यूरिया– 2.45 लाख मीट्रिक टन
डीएपी– 1.46 लाख मीट्रिक टन
एनपीके– 2.05 लाख मीट्रिक टन
एमओपी– 0.41 लाख मीट्रिक टन
एसएसपी– 1.03 लाख मीट्रिक टन

माननीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंडवार आवश्यकता और आच्छादन के अनुसार उर्वरक का उप–आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी क्षेत्र में कमी की स्थिति उत्पन्न न हो।

उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक प्रतिष्ठानों के पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक का नियमित सत्यापन किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, मंत्री ने सभी जिलों में जाँच दल गठित कर नियमित छापेमारी एवं निरीक्षण करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में छापेमारी तेज करने तथा सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित कर उर्वरक तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने को कहा गया है।

माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

––––––––––––––––